# ।। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बांसवाड़ा ।।

## कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11. 2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किया गया। अधिनस्थ कार्यालयों/विभागों के लिए नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की सुची दिनांक 21.11.2017 को जारी की गई में नियुक्तियां आवंटित पदो के सम्बन्ध में डी.बी. अपिल सख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं /अपिलो के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांकः शिविरा/माध्य/सा.प्र. /बी–1/ 2856/आरपीएससी 2013/17–18 दिनांक 22.02.2018 एवं 25.02.2018 के द्वारा राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार पे मेट्रिक्स **L- 5** पर चयनोपरान्त नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नाकिंत आशार्थी को लिपिक ग्रेड–द्वितीय (कनिष्ठ सहायक) पद पर पे मेट्रिक्स **L- 5** में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 14600/– पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1) एफडी (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प.17(8) शिक्षा–2/2015 दिनांक 19.12.17 के पार्ट बी में वर्णित निर्देशो के अनुसार निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में आयोजित परामर्श शिविर में आशार्थियों द्वारा नियुक्ति स्थान में चयन होने पर चयनित पदस्थापन स्थान की सूची एंव आवेदन पत्र निदेशालय बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/सा.प्र./बी–1/2856/ आरपीएससी–2013/ 17–18 दिनांक 04.03.2018 द्वारा प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में की जाती है। इन्हे **दिनांक 23.03.2018 तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण** करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगें।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनकी कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें :–

1. इनके द्वारा अर्जित एवं इनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/प्रशैक्षि/आयु/जाति/आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजां की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगे। इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/सन्देह होने की स्थिति में इस कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित सूचित करते हुए अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण नहीं करावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जाये। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।
3. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–।।/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।
4. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की जांच विभाग द्वारा करायी जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करगें। यदि इनके द्वारा राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य एवं मान्य नही पाई गयी तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करे कि उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण/जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए इनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नही करवाया जावे, तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सुचना

लगातार–2

भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चिता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदको कार्यग्रहण करवाया जावे। यदि काई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रीम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।

7. इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक /क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगें।
8. विवाहित अभ्यार्थियों के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धि प्रावधान लागु होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 10/–रू. के नॉन जयूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।
9. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगे।

**इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवावे तथा कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करें ।**

| क्र. सं. | मेरिट नं. | वर्ग | आशार्थी का नाम, पिता का नाम व पता | जन्म तिथि | चयन वर्ग | पदस्थापन स्थान (राउमावि/ राबाउमावि) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4949 | BC | दिलीप पाटीदार/विजयपाल पाटीदार मु.पो. बोरी तह. गढी जिला बांसवाडा | 30/06/1994 | TGEM | राबामावि डडुका, गढी |
| 2 | 4954 | GE | विशाल ठाकुर /प्रफुल ठाकुर इन्दिरा कॉलोनी, वार्ड न.2 कुशलगढ, जि. बांसवाडा | 21/11/1991 | TGEM | रामावि चुडादा, कुशलगढ |
| 3 | 5071 | BC | पियूष कुमार पाटीदार/अशोक पाटीदार मु.पो.झडस, तह. गढी, जि. बांसवाडा | 08/12/1993 | TGEM | रामावि फलाबारा अरथुना |
| 4 | 5137 | GE, WE | ममता जोशी/हिरालाल पानेरी रोड नं. 4, मोहन कॉलोनी, बांसवाडा | 28/10/1984 | GENF | रामावि नबीपुरा, नईआबादी बांसवाडा |
| 5 | 5347 | GE, WE | प्रीति भटट/विनोद भटट मु.पो. जौलाना तह. गढी जिला बांसवाडा | 07/05/1991 | GENF | राबामावि रैयाना, अरथुना |
| 6 | 5354 | BC | पवन कुमार पाटीदार/कचरू पाटीदार मु.पो. आसन तह. गढी जिला बांसवाडा | 09/09/1991 | TGEM | रामावि जन्तोडा, गढी |
| 7 | 5404 | GE, WE | शहलानाज कादरी/ अकिल अहमद कादरी हुसेनी चौक, काली कल्याण धाम, राजतलाब जि. बांसवाडा | 26/04/1987 | GENF | राउमावि भापौर, बांसवाडा |
| 8 | 5772 | BC | मुकेश चौहान/परवतेंग चौहान मु.पो. छिंच तह. बागीदौरा, जि. बांसवाडा | 29/12/1988 | TGEM | राउमावि पिण्डारमा, बागीदौरा |
| 9 | 5806 | GE | हितेश चन्द्र त्रिवेदी/नानुलाल त्रिवेदी मु.दशहरा पो. भचडिया, तह.व जि. बांसवाडा | 26/12/1988 | TGEM | राउमावि पाडीकला, बांसवाडा |
| 10 | 5827 | TSP-ST | विपिन गणावा/शंकर गणावा ग्राम खेडपुर पो. कुशलगढ तह. व जि. बांसवडा | 09/10/1993 | TGEM | राउमावि अखेपुर, कुशलगढ |

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक बांसवाड़ा

क्रमांकः–जिशिअ/मा/बांस/संस्था–1/फा.लिपिक ग्रेड–।।/नियुक्ति–2013/2017–18/352 दिनांकः– 08.03.2018

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेंर एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक उदयपुर मण्डल उदयपुर।
8. संबंधित संस्थाप्रधान..........................................
9. सम्बन्धित आशार्थी श्री/श्रीमती ..........................................
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक बांसवाड़ा